APPLICATION FORM

TWO-YEAR ENGINEERING TRADE
FITTER & ELECTRICIAN
RECOGNIZED BY
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
DIRECTORATE GENERAL OF EMPLOYMENT AND TRAINING
A. N. TIWARI. INDUSTRIAL TRAINING, CENTRE. ALLAHABAD

Note-Application should read the information brochure carefully before filling up the Application Form. Incomplete Forms will be rejected. Application Form shuld be filled in CAPITAL LETTERS in English. One letter is to be written in a box. Between two words leave a blank. For address do not repeat name. When giving phone numbers, mention whether own of PP.

नोट : आवेदन पत्र भरने से पूर्व विवरणिका को ध्यान से पढ़ें । अधूरे अथवा गलत भरे आवेदन पत्र निरस्त माने जायेगें । आवेदन पत्र को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से भरें । एक कोष्ठ में एक ही अक्षर लिखें । शब्दों के बीच में एक कोष्ठ को रिक्त छोड़ दें । पता लिखतें समय अपने नाम को पुनः न लिखें । फोन नं० के साथ अवश्य अंकित करें कि फोन स्वयं का है । अथवा पी०पी० है ।

DETAILS TO BE FILLED IN CAPITAL LETTERS IN ENGLISH, ONE LETTER EACH BOX.
सभी विवरण अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में भरिये । एक अक्षर एक खाने में भरें ।
Note- NAME FATHER'S NAME DATE OF BIRTH TO BE FILLED AS PER THE HIGH SCHOOL CERTIFICATES. DO NOT USE MR./MRS./SHRI
नाम, पिता का नाम और जन्मतिथि हाई स्कूल प्रमाण-पत्र के अनुसार भरें । श्री या श्रीमती न लिखें ।

FOR OFFICE USE ONLY

ADMITTED ON :

DD MM YYYY

Batch No.

Affix Latest Photograph

IN WHICH COURSE YOU ARE INTERESTED ?

FITTER ☐ ELECTRICIAN ☐

1. NAME / नाम

2. FATHER'S / पिता का नाम

3. MOTHER'S NAME / माता का नाम

सत्यमेव जयते

ADMIT CARD

TWO YEAR ENGINEERING TRADE

RECONGNISED BY GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, D. G. E. & T., N.C.V.T.

1. NAME

2. FATHER'S NAME

3. ROLL NO.

4. DATE & TIME

5. CENTRE NAME OF CODE

घोषणा-पत्र

1. जिस संस्थान एवं व्यवसाय से चयन हुआ है उसी व्यवसाय में प्रार्थना पत्र देना होगा । किसी भी स्थिति में स्थानान्तरण व्यवसाय अथवा संस्थान को नही दिया जायेगा ।
2. प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को फार्म में दी गयी राशि जमा करनी होगी । प्रशिक्षण शुल्क की वर्तमान दरों को वर्ष के मध्य में अथवा सत्र के प्रारम्भ वर्ष की तिथि से संशोधित किया जा सकता है और तदनुसार संशोधित प्रशिक्षण शुल्क अभ्यर्थी को जमा करना होगा ।
3. प्रवेश के समय सम्बन्धित चयनित अभ्यर्थी को अपनी शैक्षिक योग्यता, आयु, वरीयता, जाति आदि के प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियॉ दिखाना होगा एवं उन सभी एक एक सत्यापित फोटो स्टेट प्रति संस्थान में जमा करनी होगी ।
4. अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षायें निर्धारित किसी भी स्थान पर सम्पन्न कराई जा सकती है । जहॉ पर अभ्यर्थी को परीक्षा देने हेतु अपने व्यय पर जाना होगा ।
5. आकस्मिक अवकाश–12 दिवस प्रतिवर्ष का आकस्मिक अवकाश इस शर्त के साथ कि एक साथ 10 दिन से अधिक का देय नहीं होगा तथा अवशेष अवकाश समाप्त हो जायेगा । एक वर्ष के अन्त में बचे हुए आकस्मिक अवकाश अथवा अन्य किसी अवकाश को चिकित्सा अवकाश से जोड़ना अनुमन्य नहीं है ।
6. चिकित्सा अवकाश अस्वस्थ हो जाने के कारण संस्थान में अनुपस्थिति होने पर प्रशिक्षार्थी को पूरे प्रशिक्षण काल (चाहे एक वर्ष का हो या दो वर्ष का) 15 दिवसों का चिकित्सा अवकाश संस्थान से सम्बद्ध प्राधिकृत चिकित्सक अथवा पंजीकृत चिकित्सक द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकृत किया जा सकता है । गम्भीर रूप से अस्वस्थ होने पर चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर उपरोक्त के अतिरिक्त 6 सप्ताह का चिकित्सा अवकाश दिया जा सकता है , परन्तु इस प्रकार अधिकतम 57 दिनों के बाद भी अनुपस्थिति रहने पर प्रशिक्षार्थी का नाम संस्थान से काट दिया जायेगा ।
7. विशेष अवकाश अपरिहार्य एवं निजी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 10 दिन का विशेष अवकाश पूरे प्रशिक्षण काल में दिया जायेगा । बहुत ही विशेष परिस्थितियों में विशेष अवकाश की अवधि अधिकतम 30 दिन तक बढ़ाई जा सकती है । परन्तु इसके बाद भी अनुपस्थिति रहने पर प्रशिक्षार्थी का नाम संस्थान से काट दिया जायेगा ।
8. प्रशिक्षार्थी के लिए न्यूनतम उपस्थिति प्रशिक्षार्थी की संस्थान में न्यूनतम उपस्थिति स्वीकार की जाती है। 80 प्रतिशत से कम उपस्थिति होने पर प्रशिक्षार्थी को अखिल भारतीय व्यवसायिक परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।
9. प्रशिक्षार्थी को भगोड़ा घोषित करना बिना पूर्व अनुमति एवं लिखित सूचना दिये जो प्रशिक्षार्थी 10 दिनों तक निरन्तर संस्थान से अनुपस्थित रहेगा उसका नाम अनुपस्थित रहने के कारण संस्थान से काट दिया जायेगा और इस प्रकार जमा की गयी काशनमनी एवं प्रशिक्षण शुल्क वापस देय न होगा ।
10. प्रवेशित परीक्षार्थी को आगाह किया जाता है कि वे अपनी उपस्थिति की सूचना अपने व्यवसाय के अनुदेशक महोदय को प्रतिदिन देते रहे अन्यथा अनुदेशक द्वारा दी गयी रिपोर्ट के अनुसार प्रशिक्षार्थी का नाम काट दिया जायेगा ।
11. प्रशिक्षार्थीयों को समय समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा ।

मैने उपरोक्त घोषणा पत्र को भली भॉति पढ़कर नोट कर लिया है ।

दिनांक

हस्ताक्षर प्रशिक्षार्थी

नाम.....

व्यवसाय.....